न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :– 118 / 2020

उनवान

1. हरिविलास पुत्र रामगोपाल
2. ओमप्रकाश पुत्र जयकिशन (मृत जरियें वारिस) जाति माहेश्वरी निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद

2/1. विमला देवी पत्नी ओमप्रकाश
2/2. स्नेहलता
2/3. लक्ष्मी पुत्रीया ओमप्रकाश
2/4. भागीरथ पुत्र ओमप्रकाश जाति माहेश्वरी निवासी ग्राम दिलवाडा, नसीराबाद

—— वादीगण :– जरियें अधिवक्ता श्री सुखदेव चौधरी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये विद्वान तहसीलदार महोदय, तहसील कार्यालय नसीराबाद जिला अजमेर
2. रूकमणी पुत्री रामगोपाल,
3. शिवरतन पुत्र रामगोपाल,
4. नरेशकुमार पुत्र रामगोपाल,
5. मुरलीधर पुत्र जयकिशन,
6. भगवती पुत्री जयकिशन,
7. गोविन्दनारायण पुत्र जयकिशन,
8. दीनदयाल पुत्र जयकिशन,
9. मु. संतोष पत्नि शिवप्रसाद,
10. सुप्रिया पुत्री शिवप्रसाद,
11. सुलेखा पुत्री शिवप्रसाद,
12. दीपिका पुत्री शिवप्रसाद,
13. रूपचन्द पुत्र शिवप्रसाद
14. ज्योति पुत्री शिवप्रसाद समस्त जाति माहेश्वरी समस्त निवासीगण ग्राम दिलवाडा तहसील नसीराबाद जिला अजमेर

—— प्रतिवादीगण :– 2 से 14 अनुपस्थित
1 जरियें राज0 पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान का[श्तकारी] अधिनियम 1955 व 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

—2

-: निर्णय :- दिनांक :- 18.4.23

अधिवक्ता वादी ने उक्त वाद पेश कर निवेदन किया कि ग्राम दिलवाडा व बारापत्थर की निम्न आराजी वादी व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण की पुश्तैनी खातेदारी की है :-

खाता संख्या	खसरा नम्बर	रकबा
	ग्राम बारापत्थर	
35/39	किता 2	1.35
65/74	किता 2	0.57
66/75	105	0.08
115/120	किता 9	2.00
216/217	किता 2	0.15
260/255	किता 4	1.79
261/256	113	0.25
262/257	119	0.33
310/299	किता 4	1.16
	ग्राम दिलवाडी	
147/137	1726	0.5355
146/121	किता 2	0.14
152/138	758	0.06
333/282	किता 2	0.52
296/283	1830	0.14
332/326	1729	0.03
153/139	किता 2	0.65
215/211	1256	0.49
307/299	1252	0.04

आराजी मुतनाजा वादीगण व प्रफोर्मा प्रतिवादीगण के पिता/दादा के नाम दर्ज थी। उक्त आराजी पर जयकिशन पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर जयकिशन दत्तक पुत्र हीरा उर्फ हीरालाल व रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र के स्थान पर रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र श्योकिशन दर्ज कर दिया उक्त त्रुटिपूर्ण इन्द्राज के कारण वादीगण के नाम विरासत नामान्तकरण अंकित नही हो रहा है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम विरासत नामान्तकरण दर्ज किया जावे।

वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। राज0 पैरोकार ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि वादीगण आराजी मुतनाजा पर जयकिशन दत्तक पुत्र हीरा उर्फ हीरालाल व रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र श्योकिशन के बजाय जयकिशन पुत्र रामचन्द्र व रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र करवाना चाहता है। प्रतिवादी संख्या 2 से 14 प्रकरण में अनुपस्थित रहे।

प्रकरण में निम्न तनकियात कायम की गयी :-

1. आया वादग्रस्त आराजी का वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण है [illegible] गण विरासत के नामान्तकरण के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी है? -- वादीगण

Signature Not Verified
Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

---3

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

2. अनुतोष ?

अधिवक्ता वादी ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख पेश किये एवं साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

राज0 पैरोकार ने साक्ष्य नही पेश करना जाहिर किया।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया विद्वान अधिवक्तागण व राज0 पैरोकार की बहस पर मनन किया तनकी अनुसार निर्णय निम्नवत् है :-

तनकी संख्या 1 :-

वाद पत्र में उपलब्ध हाल जमाबंदी अनुसार आराजी मुतनाजा में वादीगण के पूर्वज का नाम जयकिशन दतक पुत्र हीरा/जयकिशन दतक पुत्र हीरालाल व रागोपाल पुत्र श्योकिशन/रामगोपाल पुत्र शोकिशन दर्ज है। वादीगण का कथन है कि उनके पूर्वज का सही नाम जयकिशन पुत्र रामचन्द्र व रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र है। इस बाबत उनके द्वारा पारिवारीक शजरा प्रमाण पत्र भी पेश किया है। खाता संख्या 296/283 के खसरा नम्बर 1830 रकबा 0.14 पर वादीगण के पूर्वज का सही नाम जयकिशन पुत्र रामचन्द्र व रामगोपाल पुत्र रामचन्द्र अंकित है। जयकिशन व रामगोपाल के जायन्दा पिता रामचन्द्र है। किन्तु जयकिशन हीरालाल के गोद जाने व रामगोपाल श्योकिशन के गोद जाने के कारण उनके पिता का नाम रामचन्द्र के स्थान पर कमशः हीरालाल व श्योकिशन अंकित है। किन्तु कुछ खातों व अन्य दस्तावेज में जयकिशन व रामगोपाल के पिता का नाम रामचन्द्र अंकित है जिस कारण उनकी विरासत का नामान्तकरण दर्ज नही हो पा रहा है। वादीगण द्वारा गोदनामें के आधर पर कोई अनुतोष नही चाहा है उनके द्वारा मात्र अपने पूर्वजों की विरासत अपने नाम दर्ज कराने का अनुतोष चाहा गया है। जयकिशन व रामगोपाल की मृत्यु हो गयी है। उनके नाम दर्ज आराजी उनके विधिक वारिसान के नाम दर्ज होने से किसी भी पक्षकार के हित प्रभावित नही होते है। ऐसी स्थिति में वादीगण व प्रतिवादीगण जयकिशन व रामगोपाल के हिस्से की आराजी पर विरासत द्वारा खातेदारी प्राप्ति के अधिकारी है। तनकी बहक वादीगण निर्णित की जाती है।

उक्तानुसार ग्राम बारापत्थर व दिलवाडी की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा संख्या 104, 111, 105, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 107, 108, 109, 120, 113, 119, ग्राम दिलवाडी के खसरा नम्बर 1726, 1216, 1217, 758, 759, 769,1252 व 1256 पर जयकिशन/जैकिशन दतक पुत्र हीरा/हीरालाल के स्थान पर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 से 14 व रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र श्योकिशन उर्फ शोकिशन के स्थान पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

हरिविलास बनाम राज0 सरकार

दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि0 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर – 118/2020
पेश करने की दिनांक – 22.10.20

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रूबरू अंशुल आमेरिया (आर. ए. एस)–व हाजिर अभिभाषक सुखदेव चौधरी मुद्दई राज0 पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :–

ग्राम बारापत्थर व दिलवाडी की आराजी मुतनाजा पर वादी का वाद **"स्वीकार"** किया जाता है। ग्राम बारापत्थर के हाल खसरा संख्या 104, 111, 105, 114, 115, 116, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 107, 108, 109, 120, 113, 119, ग्राम दिलवाडी के खसरा नम्बर 1726, 1216, 1217, 758, 759, 769,1252 व 1256 पर जयकिशन/जैकिशन दतक पुत्र हीरा/हीरालाल के स्थान पर वादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 5 से 14 व रामगोपाल उर्फ गोपाल पुत्र श्योकिशन उर्फ शोकिशन के स्थान पर वादी संख्या 1 व प्रतिवादी संख्या 2 से 4 को खातेदार घोषित किया जाता है। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद की कार्यवाही करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करें।

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक —— को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।

बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 05 सन् 2023 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद

Signature Not Verified

Digitally signed by Anshul Aameria
Date: 2024.01.08 14:58:54 IST
Reason: SelfAttested